प्रेस वज्ञप्ति

जनपद भदोही

दिनांक-24.07.2026

◆"ऑपरेशन कन्विक्शन" के तहत चन्हित अपराधों में दोषी अ भयुक्तों के वरुद्ध अ धकतम व त्वरित दण्डात्मक कार्यवाही हेतु चलाया जा रहा वशेष अ भयान

◆थाना कोइरौना क्षेत्र अंतर्गत ससुराल पक्ष द्वारा बहू की हत्या कर पंखे से लटकाने के संबंध में ससुर एवं ननद (पति की बहन) को आजीवन कारावास तथा प्रत्येक को ₹15,000/- के अर्थदण्ड से कया गया दण्डित

◆वैज्ञानिक ववेचना, अचूक साक्ष्य संकलन एवं पु लस व लोक अ भयोजक की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप दोषी को मली सजा

थाना कोइरौना क्षेत्र अंतर्गत ससुराल पक्ष द्वारा बहू की हत्या कर पंखे से लटकाने के संबंध में वादी मुकदमा की ल खत तहरीर के आधार पर दिनांक 29.05.2024 को थाना-कोईरौना में अ भयोग पंजीकृत करते हुए अ भयुक्तगण सज्जन पुत्र भुल्लर, भुल्लर पुत्र स्व० रामलखन, क वता व रीतू पुत्रीगण भुल्लर के वरूद्ध आरोप पत्र अन्तर्गत धारा-498-ए, 304-बी. भारतीय दण्ड संहिता एवं 3/4 दहेज प्रतिषेध अ धनियम, न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, भदोही-ज्ञानपुर में वचारण हेतु प्रे षत कया गया।

श्रीमान् पु लस महानिदेशक, उ0प्र0 लखनऊ के आदेश के क्रम में एवं *श्री अ भनव त्यागी,* पु लस अधीक्षक भदोही के निर्देशन में *"ऑपरेशन कन्विक्शन"* के तहत चन्हित अपराधों में दोषी अ भयुक्तों के वरुद्ध मा0 न्यायालय द्वारा अ धकतम व त्वरित दंडात्मक कार्यवाही हेतु जनपदीय पु लस द्वारा वशेष अ भयान चलाया जा रहा है। पंजीकृत अ भयोग में ए0डी0जी0सी0 श्री प्रवेश तिवारी, स्थानीय पु लस एवं मॉनिटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप *मा0 न्यायाधीश पुष्पा संह मा0 न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या- 1 भदोही* मुकदमा अपराध संख्या-63/2024, थाना-कोईरौना, जनपद-भदोही के मामले में दोषी पाये गये दोष सद्ध अ भयुक्त 1-भुल्लर पुत्र स्व० रामलखन 2.-क वता पुत्री भुल्लर निवासीगण दस्सूपुर, थाना कोईरौना जनपद-भदोही को भारतीय दण्ड वधान की धारा-302,201 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध के लए *प्रत्येक को आजीवन कारावास तथा मु०15,000/- (पन्द्रह हजार) रुपये के अर्थदण्ड* से दण्डित कया जाता है। अर्थदण्ड की रा श अदा न कये जाने पर दोष सद्धगण को 06 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।